न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वन्दना सिंघवी, आर.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 280/2017

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. कादर खॉ गोद पुत्र बागे खॉ 2. गफूर खॉ 3. नेकू खॉ 4. सरादीन 5. धोले खॉ पुत्रान नगे खॉ 6. मु0 बिस्मिला बेवा गॉधी खॉ निवासी–श्यामपुरा तहसील गिडा, बाडमेर।		1. बिलाल पुत्र रहीम 2. मु. मखणी बेवा मेगे खॉ निवासी–श्यामपुरा तहसील गिडा, बाडमेर। 3. नायब तहसीलदार गिडा, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 34/2010 कादरखॉ वगै बनाम बिलालखॉ वगैराह मे दिनांक 11.8.2011 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री आर. के. मेहर, रेस्पोडेंट सं. 1,2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 13/12/2017

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नं0 164 रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्टस एवं लखू बेवा वागे खॉ के खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार लखू बेवा बागे खॉ ने उक्त रकबा भूमि में से 30 बीघा 16 बिस्वा का बेचान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 18.4.2002 को कर दिया। जिसके आधार पर नामा0 संख्या 28 दिनांक 2.11.2010 को उप तहसीलदार गिडा के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया।

उक्त स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 28 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्टस ने एक प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान अपर जिला

कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 11.8.2011के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारिज कर दिया। अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के उक्त आदेश से व्यथित हो अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। सुनवाई के दौरान अपीलांटस के योग्य अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्ययालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है तथा प्रथम अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन नामान्तकरण भी नियम विरूद्ध स्वीकार किया गया है, ऐसे में दोनों आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि जिस बेचाननामें को आधार मानते हुए उप तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उस बेचाननामें से क्रेतागणों को कोई अधिकारी हासिल नहीं हो सकते है क्योंकि राजस्व रेकर्ड में विक्रेता का जितना हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था उससे अधिक हिस्से का बेचान करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसके उपरान्त भी पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरकरण भरकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और उप तहसीलदार के द्वारा नियमों को ताक में रखकर बाले–बाले ही स्वीकृत कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि नामान्तकरण कार्यवाही सम्पादित करने के समय अपीलार्थीगणों को सुनवाई का अवसर दिया जाना था, इसके अलावा विशेष रूप से जब भी, तब सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन था। इसके अतिरिक्त सहखातेदार विक्रेता का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा कानूनन बनता नहीं था तो उसे अपने से अधिक हिस्सा भूमि का बेचान का अधिकार ही नहीं था तथा तथाकथित हस्तान्तरण भी अनाधिकार पूर्ण था। इसके अतिरिक्त इसी वादग्रस्त भूमि के मामले में सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित राजस्व वाद विचाराधीन था तो उक्त वाद के निर्णय से पूर्व राजस्व रेकर्ड में कोई इन्द्राज/परिवर्तन किया ही नही जाना था। इन परिस्थितियों में उप तहसीलदार को नामान्तरकरण की कार्यवाही में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये थी।

अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त भूमि पर स्वयं विक्रेता या क्रेतागणों का किसी प्रकार से कोई कब्जा या काश्त नहीं रहा है।

उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त है एवं उनके रहवासीय ढाणियॉ व टांके इत्यादि बने हुए है। इस आधार पर भी किसी पक्षकार के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार करते हुए अपर जिला कलेक्टर बाडमेर एवं उप तहसीलदार द्वारा नामा0 संख्या 28 पर पारित अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक, दो के योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नं0 164 रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्टस एवं लखू बेवा वागे खॉ के खातेदारी में दर्ज थी। सहखातेदार लखू बेवा बागे खॉ ने उक्त रकबा भूमि में से 30 बीघा 16 बिस्वा का बेचान हम रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 18.4.2002 को कर दिया था जिसके आधार पर हमारे द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया तथा बेचान दस्तावेज के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामा0 संख्या 28 भरकर उप तहसीलदार गिडा के समक्ष पेश किया जिसे उप तहसीलदार गिडा के द्वारा दिनांक 2.11.2010 को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार उक्त नामा0 जोकि बेचान दस्तावेज के आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, उसमें स्वीकृतकर्ता अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रृटि कारित नहीं की है।

रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में जो राजस्व वाद पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन था, वह वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया था। उक्त राजस्व वाद अदम पैरवी में खारिज हो जाने के पश्चात ही रेस्पो0संख्या 1 व 2 के पक्ष में हुए बेचान दस्तावेज के आधार पर नामा0 संख्या 28 उनके पक्ष में स्वीकृत किया गया है जो विधि अनुकूल उचित व सही था। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की ओर से उक्त राजस्व वाद के अदम पैरवी में खारिज होने के उपरान्त तहसील कार्यालय के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये थे जिससे यह ज्ञात होता हो कि वाद को पुनः नम्बर पर लिये या रेस्टोर किये जाने की कार्यवाही की जा रही हो। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण काग्रवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी भी पक्षकार के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इन आधारों पर अपीलान्टस की प्रथम अपील श्रीमान अपर जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा खारिज की गई थी तथा उपरोक्त विचाराधीन द्वितीय अपील में भी कोई नये तथ्य

नहीं दर्शाये गये है जिससे उनके कथनों का बल मिलता हो। इस प्रकार अपीलान्टस की अपील खारिज किये जाने योग्य है जिसे खारिज किया जावें।

रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि इसी वादगस्त भूमि के रेस्पोडेन्टस के पक्ष में हुए बेचान के पश्चात हम रेस्पोडेन्टस के द्वारा भी खरीदी गई सम्पूर्ण भूमि का बेचान अकबरखॉ पुत्र पीरेखॉ को कर दिया था जिसके आधार पर एक और नामा0 संख्या 92 दिनांक 5.12.2011 को स्वीकृत हो चुका है। जिसकी जमाबन्दी की छाया प्रस्तुत है। तत्पश्चात वर्तमान खरीदकर्ता एवं अपीलान्टस के द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय बायतू के समक्ष उक्त खसरान की 1/2–1/2 हिस्सा विभाजन हेतु भूमि बंटवाडे के दावे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा चुके है जिसकी छायाप्रतियॉ अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। इस प्रकार अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य आई हुई भूमि के बेचान पश्चात पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 28 में किसी प्रकार कोई वैधानिक त्रृटि नहीं की गई है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जावें।

हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवताओं के द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नं0 164 रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे अपीलान्टस एवं लखू बेवा वागे खॉ के खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार लखू बेवा बागे खॉ ने उक्त रकबा भूमि में से 30 बीघा 16 बिस्वा का बेचान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 18.4.2002 को कर दिये जाने पर नामा0 संख्या 28 दिनांक 2.11.2010 को उप तहसीलदार गिडा के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उप तहसीलदार गिडा के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व पक्षकारान के मध्य चल रहे राजस्व वाद की वर्तमान जानकारी यानि राजस्व वाद के अदम हाजरी में खारिज हो जाने सम्बन्धी जानकारी लेने के उपरान्त ही नामा0 स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नामान्तरकरण प्रकिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिसके आधार पर किसी पक्षकार को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 12.4.2002 को हुए उल्लेखित बेचान के पश्चात रेस्पोडेन्टस के द्वारा और आगे बेचान हो जाना भी दर्शाया है तथा वर्तमान खातेदारों के मध्य भूमि बंटवाडे के दावे भी प्रस्तुत किया जाना

दर्शाया है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हम यह समझते है कि अपीलान्टस की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अपर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2011 तथा ग्राम श्यामपुरा का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 28 दिनांक 2.11.2010 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर